न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/188 दायर दिनांक 14.07.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. जमील खाँ पुत्र हनीफ खाँ, उम्र–50साल, जाति–शैरानी मुसलमान, निवासी–शैरानी आबाद, तसहील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. ईजाज खाँ पुत्र हनीफ खाँ, उम्र–58साल, 2. उमरदीन खाँ पुत्र हनीफ खाँ, उम्र–40साल, 3. जुबेदा पत्नी हनीफ खाँ, उम्र–75साल, 4. मोहब्बतअली पुत्र मो0 हुसैन उर्फ हुसैनखाँ, उम्र–38साल, 5. ऐमना पत्नी मो0 हुसैन उर्फ हुसैनखाँ, उम्र–55साल, समस्त,जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **03.08.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 एक ही परिवार से हैं। वाकै शरहद डाबगाँव हल्का पटवारी लौरोली कलाँ में खेत खसरा नम्बर 109 रकबा 11.10 बीघा, खसरा नम्बर 162 रकबा 10.10 बीघा कुल रकबा 22 बीघा व शरहद खाटूखुर्द पटवार हल्का खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 473 रकबा 26.10 स्थित है।

वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति की उक्त भूमि वर्तमान में संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खतौनी की नकल पेश है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज अवश्य है मगर उक्त भूमि का मौखिक बन्टवारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हो चुका है और उसी अनुसार पक्षकारान् काबिज काश्त है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017 / 188
दायर दिनांक 14.07.2017, निर्णय दिनांक 03.08.2017
जीमल खाँ बनाम् ईजाज खाँ, वगैरा।

उक्त बन्टवारा निम्न प्रकार है:–

1. वादी जमील खाँ के बन्ट में आई भूमि–

शरहद वाकै खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 473 रकबा 26.10 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 14 बीघा भूमि बन्ट में आई हुई है।

2. प्रतिवादी संख्या 01 ईजाज खाँ के बन्ट में आई भूमि–

शरहद वाकै डाबगाँव में खसरा नम्बर 162 रकबा 10.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि बन्ट में आई हुई है।

3. प्रतिवादी संख्या 02 उमरदीन खाँ के बन्ट में आई भूमि–

शरहद वाकै खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 473 रकबा 26.10 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 12.10 बीघा भूमि बन्ट में आई हुई है।

4. प्रतिवादी संख्या 04 मोहब्बत अली के बन्ट में आई भूमि–

शरहद वाकै डाबगाँव में खसरा नम्बर 109 रकबा 11.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि बन्ट में आई हुई है।

उपर्युक्त भूमि में से अपनी बन्ट की भूमि में वादी कदीम से काश्त करते आये हैं। प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.07.2017 को उक्त भूमि को बैचाण की एलानियाँ धमकी दी है। अगर प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बैच दिया तो वादी को अपार हानि होगी जिसकी क्षमिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी। इसलिए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण संख्या 03 व 05 स्वेच्छा से अपना हिस्सा अपने बेटों के हक में छोड़ रहे हैं तथा अपना हिस्सा लेना नहीं चाहते है। इसलिए इनका नाम भी उक्त खसरा में हटाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 04 के पिता हुसैन खाँ का स्वर्गवास आज से करीब लगभग 35 साल पूर्व हो चुका है जिस कारण प्रतिवादी संख्या 04 मोहब्बत अली उस वक्त नाबालिग था, अब बालिग है तथा प्रतिवादी संख्या 04 मोहब्बत अली का नाम खेत खसरा नम्बर 109 व 162 शरहद डाबगाँव में मोहम्मद अली आ गया जबकि सही नाम मोहब्बत अली है।

बिनाय दावा दिनांक 10.07.2017 को प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचाण करने की धमकी देने एवं दिनांक 11.07.2017 को खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर पैदा हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादी है कि–

(क)–

1. वादी जमील खाँ के बन्ट में आई भूमि–

शरहद वाकै खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 473 रकबा 26.10 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 14 बीघा भूमि बन्ट में आई हुई है।

2. प्रतिवादी संख्या 01 ईजाज खाँ के बन्ट में आई भूमि–

शरहद वाकै डाबगाँव में खसरा नम्बर 162 रकबा 10.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि बन्ट में आई हुई है।

3. प्रतिवादी संख्या 02 उमरदीन खाँ के बन्ट में आई भूमि–

शरहद वाकै खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 473 रकबा 26.10 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 12.10 बीघा भूमि बन्ट में आई हुई है।

4. प्रतिवादी संख्या 04 मोहब्बत अली के बन्ट में आई भूमि–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

शरहद वाकै डाबगाँव में खसरा नम्बर 109 रकबा 11.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि बन्ट में आई हुई है।

(ख)– वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी के बन्ट में आई भूमि में न तो स्वयं प्रतिवादीगण दखल अन्दाजी करें तथा न ही अपने किसी एजेन्ट, प्रतिनिधि आदि से करावें।

(ग)– प्रतिवादी संख्या 03 जुबैदा व प्रतिवादी संख्या 05 ऐमना अपना बन्ट नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए इनका नाम उपर्युक्त समस्त खसरा नम्बरान् के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

(ग) A– प्रतिवादी संख्या 04 मोहब्बत अली का नाम खसरा नम्बर 109 में मोहम्मद अली हटाकर मोहब्बत अली किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 06 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी (प्रतिलिपि) ग्राम–डाबगाँव सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 235/196 खसरा नम्बर 109, 162 व 473 की प्रतिलिपि तथा आधार कार्ड संख्या 9297 5041 6485 की छायाप्रति वाद पत्र के साथ पेश है।

पक्षकारान् ने इकबाली जवाब पेश किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। अधिवक्ता वादी दावा अनुसार, दावा डिक्री सादिर किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वादी के दावा अनुसार, प्रतिवादीगण दावा डिक्री किया जाने में अपनी सहमति देते हैं। पक्षकारान् ने किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होने की मंशा जाहिर की व वादी के चाहे गये अनुतोषानुसार वादी का वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया। चूँकि वादी के वाद का किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है।

अतः बाद विवचेन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 473 रकबा 26.10 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ", मुताबिक रकबा 14 बीघा भूमि का वादी जमील खाँ को व रकबा 12.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 उमरदीन खाँ को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017 / 188
दायर दिनांक 14.07.2017, निर्णय दिनांक 03.08.2017
जीमल खाँ बनाम् ईजाज खाँ, वगैरा।

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 162 रकबा 10.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 ईजाज खाँ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 109 रकबा 11.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 मोहब्बत अली को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त खातेदारी में से, प्रतिवादी संख्या 03 जुबैदा व प्रतिवादी संख्या 05 ऐमना का नाम हटाया जाता है। शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 109 रकबा 11.10 बीघा में वर्तमान में दर्ज नाम ''मोहम्मद अली'' के स्थान पर ''मोहब्बत अली'' दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'', निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **03.08.2017** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/188 दायर दिनांक 14.07.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. जमील खाँ पुत्र हनीफ खाँ, उम्र–50साल, जाति–शैरानी मुसलमान, निवासी–शैरानी आबाद, तसहील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. ईजाज खाँ पुत्र हनीफ खाँ, उम्र–58साल, 2. उमरदीन खाँ पुत्र हनीफ खाँ, उम्र–40साल, 3. जुबेदा पत्नी हनीफ खाँ, उम्र–75साल, 4. मोहब्बतअली पुत्र मो0 हुसैन उर्फ हुसैनखाँ, उम्र–38साल, 5. ऐमना पत्नी मो0 हुसैन उर्फ हुसैनखाँ, उम्र–55साल, समस्त,जाति–शैरानी मुसलमान, निवासी–शैरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 03.08.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, अधिवक्ता, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 473 रकबा 26.10 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ", मुताबिक रकबा 14 बीघा भूमि का वादी जमील खाँ को व रकबा 12.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 उमरदीन खाँ को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 162 रकबा 10.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 ईजाज खाँ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 109 रकबा 11.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 मोहब्बत अली को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त खातेदारी में से, प्रतिवादी संख्या 03 जुबैदा व प्रतिवादी संख्या 05 ऐमना का नाम हटाया जाता है। शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 109 रकबा 11.10 बीघा में वर्तमान में दर्ज नाम "मोहम्मद अली" के स्थान पर "मोहब्बत अली" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 03.08.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner